कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा–संभाग–अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

e-mail – jdhealthsurguja@gmail.com

क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / 2020 अम्बिकापुर, दिनांक / 08 / 2020

प्रति,

01 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– सरगुजा / कोरिया / बलरामपुर / जशपुर / सूरजपुर छ0ग0

02 आयुक्त,नगर निगम
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ0ग0।

03 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला सरगुजा / कोरिया / बलरामपुर / जशपुर / सूरजपुर छ0ग0

04 मुख्य नगरपालिका अधिकारी
जिला– कोरिया / बलरामपुर / जशपुर / सूरजपुर छ0ग0

05 स्थानीय कार्यालय,
सूचना पटल, अम्बिकापुर छ0ग0।

विषय:– सरगुजा संभाग के अंतर्गत स्टॉफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किये जानेके संबंध में।

संदर्भ:– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, विभागाध्यक्ष ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक / स्था.अवि. नर्सिंग / 2020 / 629 अटल नगर, दिनांक 20.08.2020

–0–

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, सरगुजा संभाग के अंतर्गत स्टॉफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि सर्व साधारण को विज्ञापित पदों की सूचना उपलब्ध हो सके।

उपरोक्तानुसार आप अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही विज्ञप्ति को आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ.ग.।

462

पृ0क्रमांक / / स्थापना अविज्ञप्त / 2020 अम्बिकापुर, दिनांक 24 / 08 / 2020

प्रतिलिपि:–

01. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, छत्तीसगढ़ अटल नगर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, छत्तीसगढ़, अटल नगर, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 को सूचित किया जाता है कि स्टॉफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को स्थानीय कार्यालय के पटल पर चस्पा कर दिया गया है, उक्त विज्ञापन का अवलोकन स्थानीय कार्यालय के सूचना पटल को जा सकती है, के संबंध में सूचना सर्व साधारण तक अवगत कराने हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावें।
04. जिला सूचना केन्द्र, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट परिसर अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा छ0ग0 स्टॉफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति का **www.surguja.gov.in** में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24/8/2020

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ.ग.।

E:/Letter-593

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/स्थापना नर्सिंग/......./2020/591 A   नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार संभाग स्तरीय स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के रिक्त पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑन–लाईन आवेदन पत्र **दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:–

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	संभाग	सीधी भर्ती के रिक्त पद																
					कुल रिक्तियाँ वर्गवार				कुल रिक्तियों में महिला वर्गवार				कुल रिक्तियों में भू.पू.से. वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार			
				रिक्त पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स)	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 (लेवल –07)	तृतीय	रायपुर	92	51	12	16	13	15	4	5	4	5	1	2	1	3	1	1	1
			बिलासपुर	191	84	32	48	27	21	8	12	6	8	3	4	2	6	2	3	2
			सरगुजा	135	34	7	74	20	10	2	22	6	3	1	7	2	2	0	4	1
			बस्तर	151	25	4	101	21	6	1	25	5	2	0	10	2	1	0	6	1
योगः–				569	194	55	239	81	52	15	64	21	18	5	23	7	12	3	14	5

नोट :–

1. **शैक्षणिक योग्यता –** (1) बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी.नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण (2) नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।
2. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा –** आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एवं स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं हेतु समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होगें।
4. अभ्यार्थी केवल एक संभाग हेतु आवेदन कर सकेंगे, अभ्यार्थी जिस संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग हेतु पात्र माने जायेंगे।
5. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

अन्य नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक निर्देश

1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।
2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।
3. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना होगा।
4. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. नर्सिंग कौंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एवं स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित समय–समय पर जारी निर्देष लागू होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं हेतु समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
8. (अ) छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, **उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।**
(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होंगे। **मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
9. अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
10. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णाकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 13–2/2014/आ.प्र./1–3, दिनांक 14.07.2017 के निर्देश का पालन किया गया है।
11. भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत स्टॉफ नर्स के नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
13. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. शासकीय सेवा में कार्यरत रहे अभ्यार्थियों द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑन–लाईन आवेदन के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

... के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा उस संभाग के आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तदउपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें। **प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।**

17. प्रतीक्षा सूची वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी।

18. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।

19. **आवेदन करने के पूर्व विस्तृत संभागवार एवं संवर्गवार पद की स्थिति अवश्य देख लेंवे। जिस संभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं। उस संभाग में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें अन्यथा नहीं।**

20. चयन हेतु मापदण्ड :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी –
    - 21.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों (सभी वर्षो के कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार) की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत के आधार पर अधिकतम 85 अंक प्रावधानित है।
    - 21.2 अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।
    - 21.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

21. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची संभागवार संवर्गवार जारी की जावेगी।

22. ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ठ किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। **अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती हैं तो बिना किसी सूचना के अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।**

23. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

24. आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं **आन–लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन–लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड़ किया जाना होंगा।**

25. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गयी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे एवं चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करे, आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवावदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

26. आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापनों में दिए गए नियम एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन भरे, भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र की सुची, मेरिट सुची एवं भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारी केवल विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दी जावेगी।

27. **विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन** :– इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner